

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 7/2021 (Bank Case)

GCMS No. - 2021/2

दीवान हाउसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय- वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर.पी.एम. रोड, फार्ट, मुम्बई-400001 तथा शाखा कार्यालय-302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड, जयपुर, राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव।

- प्रार्थी कम्पनी

## बनाम

1. धर्मदास पुत्र श्री हुदराजमल  
पता- मकान नं. 6-क्यू-1, महावीर नगर विस्तार, सेक्टर-6, ब्लॉक-क्यू, वार्ड नम्बर 36, कोटा राजस्थान 324005  
कार्यालय पता-बी-67, श्री साई बाबा, फल व सब्जी बिक्री बाजार, एरोड्राम (न्यू धानमण्डी एरोड्राम) कोटा राजस्थान 324005  
सम्पत्ति पता- मकान नम्बर 6-वी-17, महावीर नगर विस्तार, ग्रीन पार्क के पास, कोटा राजस्थान 324005 (ऋणी)
2. श्री लक्ष्मण दास पुत्र श्री धर्मदास  
पता- मकान नम्बर 6-क्यू-1, महावीर नगर विस्तार, सेक्टर-6, ब्लॉक -क्यू, वार्ड नम्बर 36, कोटा राजस्थान 324005 (सहऋणी)
3. श्रीमती लता देवी पत्नि श्री धर्मदास,  
पता- पता- मकान नम्बर 6-क्यू-1, महावीर नगर विस्तार, सेक्टर-6, ब्लॉक -क्यू, वार्ड नम्बर 36, कोटा राजस्थान 324005 (सहऋणी)

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री अमर सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक: 27.01.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी " दीवान हाउसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय- वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर.पी.एम. रोड, फार्ट, मुम्बई-400001 तथा शाखा कार्यालय-302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड, जयपुर, राजस्थान से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 31.03.2014 को 17,93,346/- रुपये (अक्षरे सत्रह लाख तेरानवे हजार तीन सौ छियालिस रुपये मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति आवासीय मकान नं. 6-वी-17, महावीर नगर विस्तार , ग्रीन पार्क के पास, कोटा, राजस्थान में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 774.72 वर्ग फुट हैं, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.04.2014 से अप्रार्थी नं0 3 के नाम है। जिसकी चारों दिशाएं उत्तर में- आवास संख्या 6-बी-16, दक्षिण में- रोड, पूर्व में- आवास संख्या 6-बी-16, पश्चिम में- आवास संख्या 6-बी-16 स्थित है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी



2  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज०)

का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्लिषम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 01.07.2019 को एन. पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 16,46,888/- (अक्षरे रूपये सोलह लाख छियालिस हजार आठ सौ अठ्यासी मात्र) बकाया रकम दिनांक 23.09.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एकट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 26.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "प्रातःकाल" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 16.11.2019 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 26.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "प्रातःकाल" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 16.11.2019 को प्रकाशित करवाया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 26.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "प्रातःकाल" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 16.11.2019 को प्रकाशित करवाया गया, नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी / बंधककर्ता अचल सम्पत्ति आवासीय मकान नं. 6-वी-17, महावीर नगर विस्तार , ग्रीन पार्क के पास, कोटा, राजस्थान में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 774.72 वर्ग फुट हैं, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.04.2014 से अप्रार्थी नं0 3 के नाम है। जिसकी चारों दिशाएं उत्तर में- आवास संख्या 6-बी-16, दक्षिण में- रोड, पूर्व में- आवास संख्या 6-बी-16, पश्चिम में- आवास संख्या 6-बी-16स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हसब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

2  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज०)

श्रीमान राजेश कुमार, 27/01/2021

7/2021

Bank Case

मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 27.01.2021 को सुनाया गया ।



2  
(उज्ज्वल राठौड़)  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज.)